राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 521/2011

सुशीला देवी पत्नी श्री सावरलाल, लालियों का मौहल्ला गांव सराधना जिला अजमेर

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य-सचिव, लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, राज्य सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. अधिशाषी अभियंता, राजमार्ग खण्ड, अजमेर।

----प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से	:	सुश्री ईशा बेलानी के साथ श्री सुनील समदरिया
प्रत्यर्थी (गण) की ओर से	:	श्री रोहित चौधरी, उप.जी.सी. ओआईसी श्री वेदप्रकाश शर्मा, एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के साथ एनएच, जिला-अजमेर

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

आदेश सुरक्षित करने की तिथि **<u>15/12/2022</u>**

आदेश उच्चारित करने की तिथि **<u>19/12/2022</u>**

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.03.2009 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अनुकंपा नियुक्ति से इनकार कर दिया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके आवेदन पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने की मांग की है।

2. मामले के तथ्य, जैसा कि याचिकाकर्ता ने बताया है, यह है कि याचिकाकर्ता की सास प्रत्यर्थी-विभाग में 'कुली' के पद पर नियुक्त थी। हालाँकि, 15.07.2007 को उक्त विभाग में काम करते समय उनकी मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद, 8 दिनों की अवधि के भीतर, याचिकाकर्ता के पति अर्थात मृतक के बेटे द्वारा 23.07.2007 को अनुकंपा

नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। तदनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए उक्त आवेदन को उचित विचार के लिए अधीक्षण अभियंता, जयपुर को भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता के पति-श्री सांवर लाल की भी 14.03.2008 को मृत्यु हो गई; याचिकाकर्ता को विधवा होने के साथ-साथ खुद के साथ-साथ अपने तीन नाबालिग बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। इसलिए, एक अशिक्षित महिला होने के कारण, रोजगार का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं होने के कारण, याचिकाकर्ता ने 03.03.2009 को राजस्थान मृतक आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति सरकारी नियम, 1996 (इसके बाद '1996 के नियम') के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। हालाँकि, दिनांक 19.03.2009 के पत्र के माध्यम से, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार कर दिया, इस तथ्य के कारण कि 'बहू' 1996 नियमों के तहत दिए गए 'आश्रित' शब्द के दायरे में नहीं आती है।

3. इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 19.03.2009 के अस्वीकृति पत्र की वैधता को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की और अनुकंपा नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विधिवत विचार करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने की मांग की। इस समय, यह ध्यान रखना समझदारी होगी कि वर्तमान मामला 2011 से लंबित है; और कई शीघ्र सुनवाई के अनुरोधों के बावजूद, इसे नहीं सुना गया। इस तरह दोनों पक्षों की सहमति से आज आखिरकार मामले की सुनवाई हुई।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थीगण की आक्षेपित कार्रवाई 1996 के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति देने की भावना के विपरीत हैं। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसका पूरा परिवार भी शामिल है। नाबालिग बच्चे, अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से याचिकाकर्ता की सास पर निर्भर थे। इस प्रकार, याचिकाकर्ता 1996 के नियमों के अनुसार 'आश्रित' की श्रेणी में आती है। आगे यह तर्क दिया गया कि उक्त नियमों का नियम 2 (ग) 'परिवार' शब्द को परिभाषित नहीं करता है। बल्कि, यह 'आश्रित' शब्द को परिभाषित करता है। इसलिए, प्रावधान को समग्र रूप से देखने पर, 'आश्रित' शब्द में वे सभी व्यक्ति शामिल होंगे जो अपने अस्तित्व के लिए मृतक सरकारी कर्मचारी पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। इसलिए, याचिकाकर्ता तदनुसार, उक्त प्रत्यर्थी-विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अर्हता

प्राप्त करेगा।

5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि दिनांक 19.03.2009 के आदेश के तहत, प्रत्यर्थी संख्या 2 इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता एक अशिक्षित विधवा थी, जिसके तीन नाबालिग बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उल्लिखित कारणों के कारण, याचिकाकर्ता को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार, प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार करके गलती की। उक्त तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **श्रीमती पिंकी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 2012 में प्रकाशित (1) डब्लूएलसी 431** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

6. *इसके विपरीत,* प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 19.03.2009 का आदेश बिल्कुल विधिक है और 1996 के नियमों के अनुरूप है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 1996 के नियमों के अनुसार, 'मृतक-सरकारी सेवक की बहू' उक्त नियमों के नियम 2 (ग) के तहत परिकल्पित 'आश्रित' की परिभाषा में नहीं आती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थीगण वैधानिक प्राधिकारी हैं, जो एक क़ानून के परिभाषित मापदंडों के भीतर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए, चूंकि उक्त नियमों की शर्तों के भीतर 'बहू' का कोई स्पष्ट समावेश नहीं है, इसलिए प्रत्यर्थीगण अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार नहीं कर सकते हैं। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता का आवेदन एक वर्ष की काफी देरी के बाद दायर किया गया था। इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन लंबे विलंब के बाद, बिना कोई उचित स्पष्टीकरण दिए, दायर किया था, वर्तमान याचिका खारिज करने योग्य है। अंत में, प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया कि याचिकाकर्ता के पति, मृतक-सरकारी सेवक के उत्तराधिकारी होने के नाते, उन्हें जीपीएफ, सामान्य बीमा और अन्य लाभों आदि से प्राप्त राशि का विधिवत भुगतान किया गया था। इसलिए, इस पर विचार किया जा रहा है। यहां ऊपर दी गई दलीलों के आधार पर वर्तमान याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

7. मैंने दोनों पक्षों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है, मामले के रिकॉर्ड को स्कैन किया है और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया है।

8. यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की सास, जो प्रत्यर्थी-विभाग में नियुक्त थी, की 15.07.2007 को कार्यस्थल पर मृत्यु हो गई। मृतक के परिवार में उसका बेटा अर्थात याचिकाकर्ता का पति, खुद याचिकाकर्ता और उनके तीन नाबालिग बच्चे थे। इसके अलावा, मृतक का पूरा परिवार अपने अस्तित्व के लिए आर्थिक रूप से उस पर निर्भर था। तदनुसार, याचिकाकर्ता के पति ने प्रत्यर्थी-विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। हालाँकि, जब उनका आवेदन अनुमोदन के लिए लंबित था, तब उनकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार, अपने तीन नाबालिग बच्चों की देखभाल का बोझ पूरी तरह से याचिकाकर्ता पर आ गया; जो एक अशिक्षित महिला है, अपनी सास के साथ-साथ अपने पति के निधन के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही है।

9. इस संबंध में, यह कहना विवेकपूर्ण होगा कि **श्रीमती पिंकी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 2012 में प्रकाशित(1) डब्ल्यूएलसी 431,** के मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जिस निर्णय पर अवलंब किया। जिसे इस न्यायालय की खंडपीठ ने बरकरार रखा था, **खंडपीठ एसएडब्ल्यू संख्या 1915/2011**, वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। उक्त निर्णय में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1996 के नियमों के नियम 2 (ग) की व्याख्या करते समय, हमें एक 'विधवा बेटी' की व्याख्या करनी चाहिए, जो उक्त नियम के आदेश में स्पष्ट रूप से शामिल है, जिसका अर्थ 'विधवा बेटी' है। इसका मतलब यह है कि एक 'विधवा बहू' भी 1996 के नियमों के नियम 2 (ग) के तहत कवर की जाएगी। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि भारतीय समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार, एक बहू है यह भी माना जाता है कि उसे एक बेटी के रूप में माना जाता है क्योंकि वह परिवार का एक अभिन्न सदस्य है जिसके पास घर के सभी सम्मान और जिम्मेदारियाँ हैं।

10. इस प्रकार, यह कहना समझदारी होगी कि 1996 के नियम एक लाभकारी कानून हैं और इसलिए, हमें 'विधवा-बहू' को 'विधवा बेटी' के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ने के लिए उनकी सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करनी चाहिए।

11. इसलिए, यहां ऊपर की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए और **श्रीमती पिंकी**

(सुप्रा.) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए जैसा कि **खंडपीठ एसएडब्ल्यू संख्या 1915/2011** में खंडपीठ द्वारा बरकरार रखा गया था, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा सभी परिणामी लाभों के साथ अनुकंपा नियुक्ति के लिए मांगी गई प्रार्थना को अनुमति दी जानी चाहिए।

12. तदनुसार, दिनांक 19.03.2019 का आदेश अपास्त किया जाता है और रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

13. प्रत्यर्थीगण को अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर 30 दिनों की अवधि के भीतर विचार करने और उसे नियत तारीख से कानून के अनुसार उचित लाभ देने का निर्देश दिया जाता है।

14. परिणामस्वरूप, रिट याचिका उपरोक्त शर्तों में स्वीकार की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

समीर जैन, न्यायमूर्ति

Arun/144

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल**,** द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।